न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां बईजलास श्री प्रवीण कुमार RA

राजस्वप्रकरण संख्या:– 160/16 दायर तारीख 11.07.2016

देबीलाल पिता मदनलाल जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी लक्ष्मी
तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा।

.............प्र

बनाम

1. जीतमल पिता रामा जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी विक्र
तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा।
2. प्रभूलाल पिता रामा जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी विक्र
तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा।
3. शंकर पिता रामा जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी विक्र
तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा।
4. मांगी पुत्री रामा जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कांश्त निवासी विक्रम
तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा।
5. राजस्थान सरकार मार्फत भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां जि
भीलवाडा।

...........विपक्षी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

:–निर्णय:–

दिनांक 16.01.201

प्रार्थनापत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना प अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन कि की ग्राम विक्रमपुरा पटवर मण्डल गणेशपुरा में स्थित आराजी नं0 656/484 रक 11–14 बीघा कृषि भूमि दोला नाला रामा पिता गोकल धाकड के नाम जमाबन 2036 से 2039 के खाता संख्या 62 पर दर्ज थी उक्त खाता संख्या 62 की खातेदा भूमि का विभाजन जरिये नामान्तकरण संख्या 49 दिनांक 24.01.1983 को जरि विभाजन दर्ज किया गया। जिसमें नोला पिता गोकल, के नाम आराजी न 656/484/1 रकबा 5–14 बीघा, दोला पिता गोकल धाकड के नाम आराजी न 656/484/2 रकबा 2 बीघा, रामा पिता गोकल धाकड के नाम आराजी न 656/484/3 रकबा 4 बीघा दर्ज हुई मौजा विक्रमपुरा के ही खाता संख्या 150 अन् रामा पिता गोकल धाकड निवासी विक्रमपुरा के नाम से आराजी नं0 660/120 रकब 11 बिस्वां, 662/127 रकबा 7 बिस्वा, आराजी नं0 670/234 रकबा 1 बिस्वं, आराज नं0 672/250 रकबा 9 बिस्वां आराजी संख्या 681/371 रकबा 14 बिस्वां भूमि दर्ज है। जिसका प्रार्थी की कृषि भूमि से कोई सम्बन्ध नही है। तथा उक्त खातेदार प्रार्थ के दादा रामा पिता गोकल के नाम से अन्य व्यक्ति हैं जिसका प्रार्थी की भूमि 656/484 /3 रकबा 4 बीघा से कोई सम्बन्ध नही है। उक्त कृषि भूमि पर केवल प्रार्थी का ही कब्जा काश्त है जमाबन्दी के आगामी रोटेशन सम्वत 2041 से 2044 के खाता संख्या 62 में खातेदार रामा पिता गोकल धाकड निवासी लक्ष्मीखेडा के स्वामित्व की कृषि आराजी नं0 656/484/3 की प्रविशिष्टी उक्त खाते में बजरिये नामान्तकरण संख्या 49 दिनांक 24.01.1983 के कर दी गई जिससे विपक्षी संख्या 1 से 3 के पिता के पिता रामा पिता गोकल धाकड निवासी विक्रमपुरा के गलत प्रविशिष्टी से अवैध खातेदारी प्राप्त हो गई।

16/01/18
उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां(भीलवाड़ा)

खातेदार मुद्दा बद रामा का स्वर्गवास हो चुका है। 656/484/3 रकबा 4 बीघा से विपक्षी संख्या 1 से 3 का कोई विधिक अधिकार भी निहित नही है। प्रार्थी के दादा रामा पिता गोकल धाकड निवासी लक्ष्मीखेडा तहसील बिजौलियां की भी दिनांक 17.05.2016 को मृत्यु हो चुकी है। ग्राम पिता गोकल धाकड जो प्रार्थी के दादा है जिसने दिनांक 09.05.2000 को एक रजिस्टर्ड वसियत नामा प्रार्थी के पक्ष में निष्पादित किया जिसमे वसियतकर्ता रामा पिता गोकल धाकड ने अचल सम्पति के रूप में उसके नाम पर ग्राम लक्ष्मीखेडा भापेतपुरा एवं विक्रमपुरा में स्थित जमीन का मालिक उसकी मृत्यु उपरान्त प्रार्थी को घोषित किया। तथा कृषि भूमि आराजी नं0 656/484/3 के खातेदार रामा पिता गोकल धाकड का वास्तविक वारिस प्रार्थी है। प्रार्थी के दादा रामा पिता गोकल धाकड निवासी लक्ष्मीखेडा के सम्वत 2041 से 2044 तक के खाता संख्या 150 पर अंकित खातेदार रामलाल पिता गोकल से कोई पारिवारिक सम्बन्ध नही है। विपक्षी संख्या 1 से 3 के पिता रामा पिता गोकल धाकड विक्रमपुरा मौजा विक्रमपुरा पटवार हल्का गणेशपुरा के सम्वत 2036 से 2039 की जमाबन्दी में दर्ज खातेदार दोला एंव नोला के भाई नही है। ऐसी स्थिति में उक्त जमाबन्दी में दर्ज प्रविष्टी से ही प्रार्थी का स्वामित्व खसरा नं0 656/484/3 रकबा 4 बीघा से सिद्ध है। भूमि धारी ने अपने राजस्व अभिलेखो का सही पोषण नही करते हुए प्रार्थी का हिस्सा गलत इन्द्राज किया है जो निरन्तर आगे की जमाबन्दियो में बदस्तुर चला गया। दोनो पक्षों के बिच न तो भूमि के रकबे को लेकर न ही कब्जे बाबत कोई विवाद है। ऐसी स्थिति में चालु जमाबन्दी में खाता संख्या 61 सम्वत 2069 से 2072 के परिपेक्ष्य में दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। वर्तमान जमाबन्दी में खाता दुरूस्त किये जाने योग्य है प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा ग्राम विक्रमपुरा के खाता संख्या 61 पर सम्वत 2069 से 2072 के प्रार्थी का हिस्सा खसरा नं0 715/484 रकबा 4 बीघा भूमि प्रार्थी देबीलाल पिता मदनलाल धाकड के खाते में अभिलिखित किये जाने का आदेश प्रदान करवाये जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर विपक्षी की तलबी जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना भेज करवायी गई। विपक्षी संख्या 1 से 4 ने फर्द अहकाम पर संशोधन के लिये सहमति जाहिर की विपक्षीगणो की पहचान श्री नितिन सारस्वत अधिवक्ता द्वारा की गई।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ नकल जमाबन्दी मौजा विक्रमपुरा खाता संख्या 62, जमाबन्दी ग्राम विक्रमपुरा सम्वत 2041 से 2044 खाता संख्या 150, जमाबन्दी ग्राम विक्रमपुरा सम्वत 2069 से 2072 खाता संख्या 61, तथा ग्राम पंचायत भोपतपुरा द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र की फोटो प्रति, मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति, वसियत नामा लेख्यपत्र की फोटो प्रति, नकल जमाबन्दी सम्वत 2036 से 2039 नकल नामान्तकरण संख्या 49 की प्रति दस्तावेजी साक्ष्य में प्रस्तुत की है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी व पेरोकार सरकार सुनी गई हमने पत्रावली का अवलोकन किया। ग्राम विक्रमपुरा में रामा पिता गोकल नाम के दो व्यक्ति पृथक पृथक गोत्र से है। रामा पिता गोकल अन्य खातेदार जिसके नाम ग्राम विक्रमपुरा में आराजी नं0 660/120 रकबा 11 बिस्वां, 662/127 रकबा 7 बिस्वा, आराजी नं0 670/234 रकबा 1 बिस्वं, आराजी नं0 672/250 रकबा 9 बिस्वां आराजी संख्या 681/371 रकबा 14 बिस्वां जबकि प्रार्थी के नाम पर आराजी नं0 715/484/3 रकबा 4 बीघा जो कि जरिये नामान्तकरण संख्या 49 दिनांक 24.01.1983 से खाता संख्या 61 पर रामा पिता गोकल धाकड के नाम दर्ज कर दी गयी। विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के फर्द अहकाम पर हस्ताक्षर कर संशोधन करने मे अपनी सहमती प्रदान की है। पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार बिजौलियां ने अपनी बहस के दौरान यह निवेदन किया कि प्रार्थी के पक्ष में उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

16/01/18
उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां(भीलवाड़ा)

अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम विक्रमपुरा के खाता संख्या 61 सम्वत 2069 से 2072 में अंकित आराजी नं 0 715/484 रकबा 4 बीघा भूमि को जीतमल, प्रभु, शंकर, मांगी पिता रामा धाकड के खाते से पृथक कर प्रार्थी देबीलाल पिता मदनलाल धाकडं के नाम शुद्धिकरण से राजस्व रेकार्ड अभिलिखित की जावें। उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 16.01.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/01/18

(प्रवीण कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलिया (भीलवाड़ा)